Case Study-3

विभिन्न स्टेशनों एवं समपार गेटों पर लगे Auto Changeover CLS पैनल की AMC में अनियमितता

सोमचंद सिंह ,

मुसतानि/विद्युत

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल में स्टेशनों एवं समपार गेट्स पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे Auto changeover के 2 वर्षीय अनुरक्षण अनुबंध को संज्ञान में लेकर सतर्कता जाँच किया गया। सतर्कता जाँच, अनुबंध की तारीख से 18 महीने बाद की गई। Auto Changeover CLS पैनल पर 3 अलग-अलग इनकमिंग विद्युत सप्लाई उपलब्ध रहती हैं। एक UP लाइन(OHE) A.T. की दूसरी Down लाइन (OHE)A.T. की एवं तीसरी लोकल सप्लाई, जो राज्य सरकार की होती हैं, उपलब्ध होती है | Auto Changeover CLS पैनल ऑटो मोड पर रखा जाता है। ऑटो मोड में यदि कोई एक इनकमिंग सप्लाई बाधित होती है तो दूसरी उपलब्ध इनकमिंग सप्लाई द्वारा अविरल सप्लाई Auto Changeover CLS पैनल द्वारा आगे भेजी जाती है। यदि तीनों इनकमिंग सप्लाई फेल हो जाती हैं तो सिग्नल विभाग द्वारा आई.पी.एस. द्वारा सप्लाई सिग्नल सिस्टम हेतु दी जाती है। Auto Changeover CLS पैनल का Auto-mode खराब होने की स्थिति में रोटरी स्विच द्वारा UP -A.T/Down -A.T या लोकल सप्लाई (LMS) पर सेट करके सप्लाई ली जाती है। लेकिन इस स्थिति में चयनित इनकमिंग सप्लाई फेल होने पर आगे की सप्लाई बाधित होती हैं, जब तक की पुनः रोटरी स्विच द्वारा UP -A.T / Down -A.T या लोकल सप्लाई (LMS)पर सेट नहीं किया जाता।

विषयगत AMC अनुबंध में माहवार रखरखाव एवं ब्रेकडाउन रखरखाव से संबंधित कार्य वर्णित थे | जाँच के दौरान, कार्य हेतु नामित SSE के पास से, एक फेलियर रजिस्टर उपलब्ध पाया गया। लेकिन फेलियर रजिस्टर में केवल 4 अदद प्रविष्टियां मिलीं। अनुबंध शर्त के अनुसार वर्णित था की फर्म के इंजीनियर द्वारा जिस भी स्टेशन पर माह-वार रखरखाव का काम किया जाएगा उस स्टेशन से संबंधित सेक्शन इंचार्ज या उसके नामित रेलवे कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड सत्यापित किया जाएगा, जिसे फर्म द्वारा बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जाँच में केवल 2 माह की माह-वार रखरखाव रिपोर्ट, वो भी बहुत कम स्टेशनों की, उपलब्ध हुई। जाँच के दौरान पाया गया की फर्म को, कार्य हेतु नामित SSE की तरफ से, कई बार अनुबंध से संबंधित विभिन्न कमियों को वर्णित करते हुए शीघ्र उन कमियों को ठीक करने हेतु लिखा गया था। अनुबंध 2 वर्ष के लिए था एवं 18 माह के बाद सतर्कता जाँच की गई और पाया गया की विषयांकित अनुबंध के तहत बहुत कम कार्य फर्म द्वारा किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता जाँच का संज्ञान लेते हुए विषयगत अनुबंध से संबंधित PG एवं SD को जब्त कर लिया एवं नियमानुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

****